



पर-पर
औद्योगिक योजना

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान



क्रमांक:- एफ 5() एफ.सी.ए./मुवसंज/2022-23/

दिनांक:-

बिना वृक्षों के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति

जिला एवं वनमण्डल सीकर में Diversion For Laying OFC along with right side road "Hasampur to kala kheda" in village-kalakheda & Dungar Faganwas, Forest Block - Gadrata P.F., Tehsil- Neem ka Thana, District- Sikar (Raj.) (Proposal no. FP/RJ/OFC/45403/2020) ओ0एस0सी0 केबल बिछाने हेतु 0.15 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन की बिना वृक्षों के पातन की सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार के पत्रांक 1 (63) वन/2021 जयपुर, दिनांक 14.12.2021 द्वारा जारी की गई थी। भारत सरकार पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा लीनियर प्रोजेक्ट हेतु जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 11-306/2014-एफसी दिनांक 28.08.2015 तथा राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक F.No. 1(5) Forest/2010 Jaipur, Dated: 07.01.2022 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी उपरोक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों के अध्वधीन प्रस्तावित क्षेत्र में बिना वृक्षों के पातन कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. यह स्वीकृति जारी करने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अंतरिम स्वीकृति प्रत्याहरित की जा सकती है एवं प्रयोक्ता अभिकरण के विरुद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अंतरिम स्वीकृति अनुसार 1 वर्ष की अवधि में कार्य अपूर्ण रहने की स्थिति में समय रहते अभिवृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित उप वन संरक्षक के निर्देशानुसार/पर्यवेक्षण में कार्य किया जायेगा।
5. ओ.एफ.सी. केबल सड़क के सहारे Right of way में ही डाली जावेगी। Right of way के बाहर कोई कार्य नहीं किया जावेगा।
6. यूजर एजेन्सी द्वारा कार्य के उपरान्त भूमि स्थल पर खुदाई की गई खाई (खाड़ी) को पुनः मिट्टी से भरकर समतल किया जावेगा एवं वन भूमि पर कार्य शुरू करने की जानकारी देकर ही कार्य शुरू किया जावेगा।
7. यूजर एजेन्सी द्वारा वन अथवा पर्यावरण एवं पेड़ों एवं वन सम्पदा को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी।
8. ओ.एफ.सी. केबल डालने हेतु कुल 3335 mtr (0.15 ha) लम्बाई में प्रस्ताव में अंकित चौड़ाई 0.45 मीटर से अधिक चौड़ी एवं गहराई 1.65 मीटर से अधिक गहरी खाई (खाड़ी) नहीं खोदी जावेगी एवं सड़क के किनारे वृक्ष स्थित होने से वृक्ष नहीं काटे जावेंगे।

9. वन भूमि का स्वामित्व एवं किस्म अपरिवर्तनीय रहेगी तथा इस स्वीकृति का प्रयोग अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जा सकेगा।
10. वन क्षेत्र में सूर्यास्त से सूर्यादय तक कोई कार्य नहीं किया जावेगा। प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास कोई श्रमिक कैंप नहीं लगाया जावेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

//
(मनफूल सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
जयपुर

क्रमांक:- एफ 5() एफ.सी.ए./मुवसंज/2022-23/3956-63
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक:- 20/06/22

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, अरण्य भवन, जयपुर।
2. शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ 14 (402/36)2020/एफसीए/प्रमुवसं/2143 दिनांक 23.06.2022 द्वारा श्रीमान् को प्रेषित की जा चुकी है।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन, जयपुर।
4. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (आई.टी.) अरण्य भवन राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि इस स्वीकृति की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
5. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए अरण्य भवन राजस्थान जयपुर।
6. उप वन संरक्षक, सीकर को उनके पत्रांक एफ () एफसीए/उवसंसी/2022-23/6565 दिनांक 14.06.2022 के क्रम में दी जाकर निर्देशित है कि समय-समय पर निरीक्षण कर राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करें।
7. Jio Digital Fibre Pvt. Ltd. 1st Floor, Anand Bhawan, Sansar Chandra Road, Jaipur, 302001.
8. रक्षित पत्रावली।


मुख्य वन-संरक्षक
जयपुर